## Order sheet [Contd]

case No: BA. -357 / 17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

06-10-17 12:15 to 12:30 PM आवेदक / अभियुक्त सियाराम द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री पंकज शर्मा) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 444/17 एवं अपराध क्रमांक 111/16 अंतर्गत धारा—354 एवं 506 भा0दं०सं० उनवान पुलिस थाना एण्डोरी बनाम सियाराम का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक सियाराम की पत्नी गुड्डी देवी के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक सियाराम के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं०प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध झूंठा अपराध फरियादिया के परिवारजन ने पुलिस से मिलकर पंजीबद्ध करा दिया गया है। वह कृषि/मजदूर पेशा व्यक्ति होकर गरीब किसान है वर्तमान में खेती का समय है यदि वह जेल में रहा तो उसकी खेती बिगड जाएगी और उसके बाल बच्चों का कोई सहारा नहीं रहेगा। आवेदक के विरुद्ध जो मामला पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा पंजीबद्ध किया गया है उसकी कोई भी सूचना आवेदक को पुलिस द्वारा नहीं दी गई है और न ही न्यायालय से प्राप्त हुई, जिसके कारण आवेदक न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। आवेदक अपने घर में अकेला है और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.09.16 को जब फरियादिया लेट्रीन करने को जा रही थी तब एक व्यक्ति उसे चोठ के चबूतरे पर मुंह पर साफी बांधे हुए बैठा मिला था, जब फरियादिया बीहड में गई तो वहां पर वह व्यक्ति भी आ गया उसने फरियादिया को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

बैठ गया और उसका मुंह दबा दिया और बोला कि उसे बुरा काम करने दे फिर वह उसे छोड देगा नहीं तो जान से खत्म कर देगा और फिर उसने फरियादिया की छाती दबाई फिर फरियादिया ने उसका हाथ मुंह से हटाकर जोर से चिल्लाई तो उसका पित और गांव का शिवनारायण परिहार आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया और उन्हें देखकर वह भाग गया तथा उसके चेहरे से कपडा हट गया जिसे उसके पित ने पहचान लिया था वह केथोदा के सियाराम गुर्जर था। जिसकी रिपोर्ट उसने अपने पित के साथ थाना एण्डोरी पर जाकर की।

यद्यपि अभियुक्त दिनांक 11.09.17 से निरोध में है परंतु अभिलेख में उसके आपराधिक प्रकरणों की सूची संलग्न की गई है जिसके अनुसार उसके विरूद्ध चोरी के तीन प्रकरण, चोरी के प्रयास का एक प्रकरण, मारपीट के दो प्रकरण, आयुध अधिनियम का एक प्रकरण तथा धारा—506 भा0द0वि0 का एक प्ररकण है। मामले की संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अभियुक्त/आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख से साथ वापिस भेजी जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड